राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

प्रकरण संख्या : निगरानी/फोरेस्ट/5182/2004/झुझुंनू

1. मोहन
2. सज्जन
3. पूर्ण पुत्रगण रिछपाल
4. बिमला
5. सुमित्रा
6. गीता पुत्रीयां रिछपाल

समस्त जाति जाट निवासी समसपुर तहसील व जिला झुझुंनू

–प्राार्थीगण

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये उप वन संरक्षक, झुझुंनू

–अप्रार्थी

एकल पीठ
श्री बी.एल. गुप्ता, सदस्य

उपस्थितः–

श्री योगेन्द्रसिंह, अधिवक्ता प्रार्थीगण
श्री रमजान मोहम्मद, राजकीय उप अधिवक्ता, अप्रार्थी

निर्णय

दिनांक 1–10–2012

प्रार्थीगण द्वारा यह निगरानी धारा 18 राजस्थान वन अधिनियम के अन्तर्गत जिला कलक्टर, झुझुंनू द्वारा पारित निर्णय दिनांक 30–9–2004 से व्यथित होकर प्रस्तुत की गई है।

2. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थीगण के पिता रिछपाल के प्रार्थनापत्र पर सहायक वन बन्दोबस्त अधिकारी, जयपुर कैम्प झुझुंनू ने अपने आदेश दिनांक 16-6-1980 से विवादित भूमि खसरा नम्बर 1345 का रकबा 05 बीघा 10 बिस्वा को राजस्थान वन अधिनियम, 1958 के नियम 12(2) के तहत वन क्षेत्र से पृथक करते हुए उज्रदार प्रार्थीगण के पिता के नाम दर्ज करने के आदेश पारित किये। इस आदेश के विरूद्ध उप वन संरक्षक, झुझुंनू ने जिला कलक्टर, झुझुंनू के न्यायालय में प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया। जिस पर जिला कलक्टर ने उनके समक्ष प्रस्तुत सभी प्रार्थनापत्रों पर दिनांक 31-3-1987 को आदेश पारित कर राजस्व मण्डल के समक्ष रेफरेन्स प्रेषित किये, जिसे राजस्व मण्डल की माननीय एकलपीठ द्वारा पारित निर्णय दिनांक 30-9-1988 से प्रकरण निर्देशों के साथ जिला कलक्टर, झुझुंनू को प्रतिप्रेषित किया गया। तत्पश्चात् जिला कलक्टर, झुझुंनू ने उनके समक्ष प्रस्तुत प्रार्थनापत्रों को अपील में दर्ज रजिस्टर कर अपने निर्णय दिनांक 22-9-1990 से प्रस्तुत अपीलों को मियाद बाहर होना मानते हुए निरस्त कर दिया। तत्पश्चात् अप्रार्थी ने माननीय उच्च न्यायालय में सिविल रिट पीटिशन संख्या 2251/2000 प्रस्तुत की, जिसे माननीय उच्च न्यायालय ने निर्णय दिनांक 14-5-2004 से स्वीकार करते हुए प्रकरण जिला कलक्टर, झुझुंनू को निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया। माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुरूप जिला कलक्टर द्वारा प्रकरण को पुनः दर्ज रजिस्टर करने के उपरान्त उभयपक्ष की बहस सुनकर अपने निर्णय दिनांक 30-9-2004 से अपील को स्वीकार करते हुए सहायक वन बन्दोबस्त अधिकारी, जयपुर कैम्प झुझुंनू द्वारा पारित निर्णय दिनांक 16-6-1980 को निरस्त कर दिया। इसी निर्णय से व्यथित होकर प्रार्थीगण द्वारा यह निगरानी प्रस्तुत की गयी है।

3. हमने उभय पक्ष के योग्य अधिवक्तागण की बहस सुनी। राजस्व

4. योग्य अधिवक्ता प्रार्थीगण ने अपनी बहस में निगरानी मीमों में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए मुख्य रूप से कथन किया कि यदि जिला कलक्टर की राय में सहायक वन बन्दोबस्त अधिकारी ने अप्रार्थी या वन विभाग के अधिकारियों को आदेश पारित करने से पूर्व सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया तो ऐसी स्थिति में निगराधीन आदेश से अपील को पूर्णतयाः स्वीकार करने का अधिकार जिला कलक्टर को नहीं था। जिला कलक्टर सहायक वन बन्दोबस्त अधिकारी का आदेश निरस्त कर प्रकरण को गुणावगुण पर निर्णय हेतु सहायक बन्दोबस्त अधिकारी को प्रतिप्रेषित कर सकते थे। उनका कथन है कि जिला कलक्टर ने प्रार्थीगण के सम्पूर्ण प्रकरण को समझने में अपनी विफलता दिखाई है। वन अधिनियम की धारा 17 व 18 केवल अपील व निगरानी की धाराऐं है। राजस्थान वन अधिनियम, 1958 के नियम 12 (3) में स्पष्ट प्रावधान है कि यदि वन सीमा कायम करते हुए किसी खातेदार की खातेदारी भूमि या कोई व्यक्ति उस भूमि पर अपना दावा करता है तो यह प्रमाणित करने पर वन बन्दोबस्त अधिकारी उक्त भूमि को वन क्षेत्र से पृथक कर सकता है। सहायक वन बन्दोबस्त अधिकार का आदेश वन अधिनियम व उसके तहत बने नियमों के तहत ही पारित किया गया था, जिसको इस आधार पर निरस्त नहीं किया जा सकता कि समयावधि में प्रार्थीगण ने अपने एतराज प्रस्तुत नहीं किये। राजस्थान सरकार ने विज्ञप्ति दिनांक 7-1-1969 से विवादित भूमि रक्षित वन भूमि घोषित की थी। इसके पूर्व विवादित भूमि पर प्रार्थीगण एवं उनके पूर्वज पिछले 50 वर्षो से अधिक समय से काश्त करते आ रहे है एवं मकान वगैराह बने हुए है। सहायक वन बन्दोबस्त अधिकारी ने प्रार्थीगण के पिता का पुराना कब्जा मान कर वनखण्ड की सीमा से पृथक किये जाने का

विधिसम्मत् निर्णय पारित किया था, जिसमें किसी प्रकार की कोई अनियमितता नहीं है। उनका यह भी कथन है कि सहायक वन बन्दोबस्त अधिकारी के समक्ष वन विभाग के अधिकारी उपस्थित हुए, जिन्होंने अपनी सहमति दी। साथ ही प्रार्थीगण का पुराना कब्जा होना स्वीकार किया था। जब वन अधिकारी ने सहायक वन बन्दोबस्त अधिकारी के समक्ष विवादित भूमि को वन क्षेत्र से पृथक करने में अपनी सहमति दे दी तो उसके बाद अप्रार्थी को अपील करने का कोई अधिकार नहीं था। जिला कलक्टर द्वारा निगराधीन निर्णय पारित करते समय इस बिन्दू पर ध्यान नहीं दिया गया। जिला कलक्टर ने अपील का निर्णय करते समय न तो साक्ष्य का विवेचन एवं विश्लेषण किया गया ना ही मौका निरीक्षण रिपोर्ट दिनांक 30-5-2002 बाबत् प्रार्थीगण को सुनवाई का अवसर दिया गया और ना ही इस पर विचार किया गया। ऐसी स्थिति में जिला कलक्टर द्वारा पारित निगराधीन आदेश त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है। अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत निगरानी को स्वीकार किया जाकर जिला कलक्टर द्वारा पारित निगराधीन आदेश को निरस्त किया जावे तथा सहायक वन बन्दोबस्त अधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनांक 16-6-1980 को बहाल रखा जावे।

5. इसके विपरीत योग्य राजकीय उप अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि विवादित भूमि राज्य सरकार की विज्ञप्ति दिनांक 7-1-1969 से रक्षित वन क्षेत्र में घोषित की गयी थी। वन बन्दोबस्त अधिकारी, सहायक वन बन्दोबस्त अधिकारी को उक्त वन भूमि अथवा बंजर भूमि पर सरकार या प्राईवेट व्यक्तियों के अधिकारों की जांच हेतु नियुक्त किया गया था। सहायक वन बन्दोबस्त अधिकारी ने दिनांक 8-6-1974 को उद्घोषणा जारी की कि उक्त विवादित भूमि पर जो व्यक्ति अधिकार रखने का दावा करता हो वह इस

उद्घोषणा की तारीख से तीन माह के भीतर सूचना देवे। निश्चित की गई अवधि व्यतीत हो जाने पर कोई आपत्ति ग्रहण नहीं की जावेगी। प्रार्थीगण द्वारा निश्चित अवधि तीन माह में कोई आपत्ति पेश नहीं की। उनका यह भी कथन है कि सहायक वन बन्दोबस्त अधिकारी को रक्षित वन क्षेत्र की सीमा से विवादित भूमि को बाहर घोषित करने का कोई अधिकार नहीं था। उनके द्वारा पारित आदेश क्षेत्राधिकारविहीन आदेश है। उनका यह भी कथन है कि सहायक वन बन्दोबस्त अधिकारी ने विवादित भूमि पर प्रार्थीगण का पुराना कब्जा मानकर आदेश पारित किया जबकि पुराने कब्जे बाबत् कोई दस्तावेजी साक्ष्य पत्रावली में उपलब्ध नहीं है। जिला कलक्टर द्वारा इन्हीं तथ्यों को ध्यान में रखते हुए निगराधीन निर्णय पारित किया गया है, जिसमें किसी प्रकार की कोई विधिक अथवा तथ्यात्मक त्रुटि नहीं है। जिला कलक्टर द्वारा प्रकरण के तथ्यों की पूर्ण विवेचना एवं विश्लेषण करते हुए निगराधीन निर्णय पारित किया गया है, जिसमें निगरानी के माध्यम से किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित नहीं है। विवादित भूमि राजस्व अभिलेख में वन भूमि दर्ज है, प्रार्थीगण द्वारा विवादित भूमि पर पुराने कब्जे बाबत् कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गयी है। अतः प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत निगरानी को खारिज किया जावे।

6. हमने उभय पक्ष के योग्य अधिवक्ताओं द्वारा की गयी बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालयों से प्राप्त पत्रावलियों का अध्ययन एवं मूल्यांकन किया।

7. प्रस्तुत प्रकरण में राजस्थान सरकार द्वारा विवादित भूमि को रक्षित वन भूमि घोषित करते हुए विज्ञप्ति दिनांक 7-1-1969 को जारी की गयी। जिसके क्रम में सहायक वन बन्दोबस्त अधिकारी ने

दिनांक 8–6–1974 को उद्घोषणा जारी की कि उक्त विवादित भूमि पर जो व्यक्ति अधिकार रखने का दावा करता हो वह इस उद्घोषणा की तारीख से तीन माह के भीतर सूचना देवे। प्रार्थीगण द्वारा निश्चित अवधि तीन माह में कोई आपत्ति पेश नहीं की गयी। वन अधिनियम की धारा 4(सी) के अन्तर्गत वन बन्दोबस्त अधिकारी को जांच करने का अधिकार है परन्तु उक्त धारा के तहत वन बन्दोबस्त अधिकारी को किसी व्यक्ति के हकों को तय करने का अधिकार नहीं है। उक्त अधनियम की धारा 6 में वन बन्दोबस्त अधिकारी को रक्षित वन क्षेत्र घोषित किये जाने के सम्बन्ध में आपत्तियां प्रस्तुत किये जाने हेतु उद्घोषणा जारी करने व धारा 7 में प्रस्तुत आपत्तियों की जांच करने का अधिकार है। राजस्थान वन बन्दोबस्त नियम 1958 के नियम 11 के तहत उद्घोषणा की जांच के प्रावधान है और यह भी प्रावधान है कि अगर किसी काश्तकार ने रक्षित वन भूमि के कुछ क्षेत्र को जोतकर कृषि योग्य बना लिया है तो उसे वन क्षेत्र में शामिल नहीं किये जाने के सम्बन्ध में सहायक वन बन्दोबस्त अधिकारी अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को भेजेगा। प्रस्तुत प्रकरण में सहायक वन बन्दोबस्त अधिकारी ने विलम्ब से प्राप्त आपत्ति के सम्बन्ध में प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत मौखिक साक्ष्य के आधार पर विवादित भूमि को रक्षित वन भूमि के वन खण्ड से पृथक किये जाने का आदेश पारित किया है, जिसके सम्बन्ध में सहायक वन बन्दोबस्त अधिकारी को कोई क्षेत्राधिकार नहीं था।

8. प्रस्तुत प्रकरण में प्रार्थीगण के पिता रिछपाल द्वारा दिनांक 11–2–1980 को सहायक वन बन्दोबस्त अधिकारी के समक्ष प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर कथन किया गया कि छः बीघा पुख्ता भूमि जो वन क्षेत्र में है, प्रार्थी के कब्जे काश्त में है, उसको वन भूमि से बाहर निकाल कर प्रार्थी के कब्जे की खातेदारी भूमि घोषित की जावे।

सहायक वन बन्दोबस्त अधिकारी ने मौखिक साक्ष्य में गवाह रिछपाल, हनुमानाराम एवं महावीर तथा जगमालसिंह के बयान लिपिबद्ध किये। गवाह रिछपाल, हनुमानाराम एवं महावीर ने विवादित भूमि पर रिछपाल का कब्जा काश्त होने का कथन किया जबकि जगमालसिंह फोरेस्ट रेन्ज आफिसर ने विवादित भूमि पर रिछपाल को अतिक्रमी के रूप में काबिज होने का कथन किया। पक्षकारान की ओर से कब्जे काश्त बाबत् कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गयी। सहायक वन बन्दोबस्त अधिकारी ने दिनांक 16-6-1980 को मौखिक साक्ष्य के आधार पर विवादित भूमि खसरा नम्बर 1345 में से 05 बीघा 10 बिस्वा भूमि पर प्रार्थीगण के पिता रिछपाल का कब्जा काश्त होना मानते हुए उक्त भूमि को वनखण्ड की सीमा से पृथक करने का आदेश पारित किया।

9. प्रस्तुत प्रकरण में प्रार्थीगण की ओर से ऐसी कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गयी है जिससे यह प्रतीत हो कि विवादित भूमि पर प्रार्थीगण का पूर्वजों के समय से कब्जा काश्त है तथा विज्ञप्ति जारी होने की तिथि को विवादित भूमि पर उनका कब्जा काश्त था। सहायक वन बन्दोबस्त अधिकारी ने केवल मात्र मौखिक साक्ष्य के आधार पर विवादित भूमि को वन सीमा से पृथक किये जाने का आदेश पारित किया, जिसका उन्हें को अधिकार नहीं था। इस प्रकार सहायक वन बन्दोबस्त अधिकारी द्वारा पारित आदेश क्षेत्राधिकारविहीन आदेश है। विवादित भूमि राजस्व अभिलेख में वन भूमि दर्ज है। प्रार्थीगण विवादित भूमि पर केवल मात्र अतिक्रमी के रूप में काबिज है। प्रार्थीगण को विवादित वन भूमि पर अतिक्रमी के रूप में काबिज रहने की अनुमति दिया जाना न्यायोचित नहीं है। जिला कलक्टर द्वारा इन्हीं तथ्यों को ध्यान में रखते हुए निगराधीन विधिसम्मत् निर्णय पारित किया गया है। जिला कलक्टर द्वारा प्रकरण के तथ्यों की पूर्ण

विवेचना एवं विश्लेषण करते हुए निगराधीन निर्णय पारित किया गया है, जिसमें निगरानी के माध्यम से किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित नहीं है। योग्य अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा हमारे समक्ष भी ऐसी कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर सके है जिससे यह प्रमाणित हो कि विवादित भूमि पर प्रार्थीगण का कब्जा काश्त काफी पुराना हो। विवादित भूमि राजस्व अभिलेख में वन भूमि दर्ज है, जिस पर प्रार्थीगण के अतिक्रमी के रूप में काबिज होने के आधार पर वन क्षेत्र से पृथक किया जाना विधिसम्मत् नहीं है। जिला कलक्टर द्वारा विधिसम्मत् निर्णय पारित किया गया है, जिसमें निगरानी के माध्यम से हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

10. परिणामतः प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत निगरानी खारिज की जाती है तथा जिला कलक्टर, झुझुंनू द्वारा पारित निर्णय दिनांक 30-09-2004 को यथावत रखा जाता है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(बी.एल. गुप्ता)
सदस्य